छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 7–19/2016/सक/26 नया रायपुर, दिनांक 19/06/2017

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
   छत्तीसगढ़
2. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत, छत्तीसगढ़
3. समस्त संयुक्त/उप संचालक
   समाज कल्याण, छत्तीसगढ़
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   जिला कार्यालय, छत्तीसगढ़
5. सहायक आयुक्त
   जिला कार्यालय
   आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग
6. समस्त आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी
   नगर पालिका/नगर पंचायत, छत्तीसगढ़

विषय :– दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना हेतु निर्देश।

——000——

1. पात्रता :–

1.1 **राज्य द्वारा संचालित दिव्यांगजन छात्रवृत्ति–**
कक्षा 1 से 12 वीं तक के नियमित विद्यार्थी।

1.2 **केन्द्रीय दिव्यांगजन छात्रवृत्ति –**

(अ) **प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति–**
कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं के नियमित विद्यार्थी।

(ब) **पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति–**
सभी पोस्ट मैट्रिक स्तर के पाठ्यक्रम जिसमें प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाईस्कूल पास हो (जैसे– 11 वीं व 12 वीं)/आई.

Scanned by CamScanner

टी. आई./पोलिटेक्निक में त्रिवर्षीय डिप्लोमा/स्नातक (चिकित्सा/तकनीकी शिक्षा) /स्नातक (व्यावसायिक पाठ्यक्रम)/स्नातक (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान) के नियमित छात्र–छात्राएं

1.3 40% या उससे अधिक के दिव्यांगजन।

1.4 आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी हो।

1.5 गत परीक्षा में उत्तीर्ण हो।

1.6 प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु पालक/अभिभावक या आवेदक की अधिकतम वार्षिक आय रूपये 2,00,000/– (रूपये दो लाख) तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु पालक/अभिभावक या आवेदक की अधिकतम वार्षिक आय रूपये 2,50,000/– (रूपये दो लाख पचास हजार) होगी। पूर्व माध्यमिक स्तर तक की छात्रवृत्ति के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

2. छात्रवृत्ति एवं भत्तों की दर :–

राज्य शासन द्वारा अथवा केन्द्रीय योजनाओं के लिए केन्द्र शासन द्वारा छात्रवृत्ति एवं भत्ता की दर समय–समय पर प्रशासकीय आदेश द्वारा नियत की जा सकेगी। वर्तमान में दर निम्नानुसार है :–

2.1 राज्य द्वारा संचालित दिव्यांगजन छात्रवृत्ति–

राज्य संचालित छात्रवृत्ति राज्य शासन की दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना मद से आहरित की जाएगी। छात्रवृत्ति के दर में निम्नानुसार राशि पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिए शामिल होंगे–

क्र	स्तर	छात्रवृत्ति की दर (रूपये प्रतिमाह)		
		छावृत्ति	संधारण भत्ता	कुल राशि
1.	प्राथमिक स्तर, कक्षा 1 से 5 तक	100/–	50/–	150/–
2.	पूर्व माध्यमिक स्तर, कक्षा 6 से 8 तक	120/–	50/–	170/–

2.2 केन्द्रीय दिव्यांगजन छात्रवृत्ति –

केन्द्रीय छात्रवृत्ति की राशि भारत सरकार की दिव्यांगजनों के लिए प्री–मैट्रिक एवं पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना मद से आहरित की जाएगी। यह राशि भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों/लाभार्थियों को सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में प्रदाय की जावेगी। कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के विद्यार्थियों को राज्य की दिव्यांगजन

Scanned by CamScanner

छात्रवृत्ति योजना से अतिरिक्त सहायता दी जावेगी जो राज्य की दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना मद से विकलनीय होगा।

(अ) प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति– प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति के मूल्य में निम्नानुसार राशि पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिए शामिल होंगे–

i. छात्रवृत्ति व अन्य अनुदान

ii. भत्ता

i. छात्रवृत्ति दर

क्र	विवरण	दैनिक		अन्तःवासी	
		केन्द्रीय सहायता	राज्य योजना से सहायता	केन्द्रीय सहायता	राज्य योजना से सहायता
1.	छात्रवृत्ति दर प्रतिमाह (रूपये में)	350/–	190/–	600/–	190/–
2.	पुस्तक एवं तदर्थ अनुदान प्रतिवर्ष (रूपये में)	750/–	–	1,000/–	–

ii. भत्ता

क्र	भत्ता	राशि (रूपये में)
1.	दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए मासिक वाचक भत्ता	केन्द्र से – 160/– राज्य से – 100/–
2.	मासिक परिवहन भत्ता; उन छात्रों के लिए जो शिक्षण संस्थान के छात्रावास में निवासरत नहीं है।	160/–
3.	मासिक अनुरक्षक भत्ता; गंभीर दिव्यांग (80% या उससे से अधिक दिव्यांगता) दैनिक विद्यार्थियों के लिए	160/–
4.	मासिक सहायक भत्ता; छात्रावास में निवासरत ऐसे गंभीर अस्थि बाधित विद्यार्थी जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, को सहयोग प्रदान करने वाले कोई कर्मचारी के लिए	160/–
5.	मासिक कोचिंग भत्ता; मानसिक रूप से अविकसित तथा मनोरोगी विद्यार्थियों के लिए	240/–

(ब) पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति– पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के मूल्य में निम्नानुसार राशि पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिए शामिल होंगे–

i. रखरखाव भत्ता,

Scanned by CamScanner

ii. दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ता, पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिए,

iii. गैर वापसी अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति,

iv. शैक्षणिक भ्रमण शुल्क,

v. रिपोर्ट/प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु टंकण/मुद्रण शुल्क,

vi. पत्राचार पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पुस्तक भत्ता,

vii. निर्दिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए बुक बैंक की सुविधा,

i. रखरखाव भत्ता –

क्र	समूह	रखरखाव भत्ता की दर (रूपये प्रतिमाह)	
		दैनिक	अन्तःवासी
1.	चिकित्सा/तकनीकी शिक्षा में स्नातक	550/–	1200/–
2.	व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातक, डिप्लोमा सर्टिफिकेट क्षेत्र जैसे फार्मेसी (बी फार्मा), एल.एल.बी., बीएफएस, अन्य पैरामेडिकल शाखा जैसे पुनर्वास, डायग्नोटिक्स आदि, मास कम्यूनिकेशन, होटल प्रबंधन आदि	530/–	820/–
3.	स्नातक (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान)	300/–	570/–
4.	सभी पोस्ट मैट्रिक स्तर के पाठ्यक्रम जिसमें प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाईस्कूल पास हो (जैसे– 11 वीं व 12 वीं)/आई. टी. आई. /पोलिटेक्निक में त्रिवर्षीय डिप्लोमा	230/–	380/–
5.	11 वीं व 12 वीं के विद्यार्थियों के लिए	राज्य योजना से 190/–	राज्य योजना से 190/–

ii. दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ता, पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिए –

अ) **दृष्टि बाधित विद्यार्थियों वाचक भत्ता** – राशि रूपये 240/– प्रतिमाह सभी पाठ्यक्रम समूहों के लिए।

Scanned by CamScanner

राज्य योजना से कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं के छात्रों के लिए राशि रूपये 100/– प्रतिमाह, स्नातक (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान) एवं पोलिटेक्निक के छात्रों के लिए राशि रूपये 150/– प्रतिमाह तथा स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक स्नातक परीक्षाओं के लिए राशि रूपये 200/– प्रतिमाह अतिरिक्त वाचक भत्ता प्रदान किया जाएगा।

ब) **परिवहन भत्ता** – राशि रूपये 160/– प्रतिमाह, उन छात्रों के लिए जो शिक्षण संस्थान के छात्रावास में निवासरत नहीं है।

स) **अनुरक्षण भत्ता** – राशि रूपये 160/– प्रतिमाह, गंभीर दिव्यांग (80% या उससे से अधिक दिव्यांगता) दैनिक विद्यार्थियों के लिए।

द) **विशेष भत्ता** – राशि रूपये 160/– प्रतिमाह, छात्रावास में निवासरत ऐसे गंभीर अस्थि बाधित विद्यार्थी जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, को सहयोग प्रदान करने वाले कोई कर्मचारी के लिए।

इ) **कोचिंग भत्ता** – राशि रूपये 240/– प्रतिमाह, मानसिक रूप से अविकसित तथा मनोरोगी विद्यार्थियों के लिए।

iii. **गैर वापसी अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति –**
दिव्यांग विद्यार्थियों द्वारा भुगतान किया गया वह सभी प्रकार की अनिवार्य फीस जो गैर वापसी है जैसे – पंजीयन शुल्क, शिक्षण शुल्क, मनोरंजन शुल्क, लाइब्रेरी शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

iv. **शैक्षणिक भ्रमण शुल्क –**
अधिकतम रूपये 1600/– प्रतिवर्ष, व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए यदि भ्रमण पाठ्यक्रम में आवश्यक हो। इस हेतु संस्था प्रमुख द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाना होगा।

v. **रिपोर्ट/प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु टंकण/मुद्रण शुल्क –**
संस्था प्रमुख के अनुशंसा पर अधिकतम रूपये 1600/– अनुसंधान के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए शोधपत्र टंकन/मुद्रण हेतु।

Scanned by CamScanner

vi. पत्राचार पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पुस्तक भत्ता–

पत्राचार पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए रूपये 1200/– वार्षिक आवश्यक/नियत पुस्तकों के लिए, गैर वापसी अनिवार्य शुल्क प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त।

vii. निर्दिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए बुक बैंक की सुविधा–

1. ऐसे सभी संस्थाओं में बुक बैंक सुविधा उपलब्ध कराए जाएंगे जहां दिव्यांग विद्यार्थी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हों। एक ही कक्षा में अध्ययनरत् एक ही प्रकार के दो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 1 एक पुस्तक के मान से पुस्तक कय करने का प्रावधान रखा गया है।
2. बुक बैंक के लिए निर्दिष्ट पाठ्यक्रम एवं राशि–

क्र	पाठ्यक्रम	अधिकतम सीमा प्रति सेट (या वास्तवित राशि जो कम हो)
1.	चिकित्सा/तकनीकी शिक्षा में स्नातक	7,500/–
2.	वेटनरी में स्नातक	5,000/–
3.	कृषि में स्नातक	4,500/–
4.	पॉलिटेक्लिक एवं अन्य पाठ्यक्रम	2,400/–

3. विद्यार्थियों के सुविधा के लिए संस्थानों को ई–लाइब्रेरी हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
4. पुस्तकों की भण्डारण एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु निम्नानुसार व्यय की अनुमति है–
   i. रूपये 2,000/– या वास्तविक मूल्य जो कम हो।
   ii. अनुदान राशि का 5% बाइंडिंग एवं अन्य हेतु।

नोट :– उपरोक्त बुक बैंक में उल्लेखित पुस्तकें अन्तर्गत दृष्टि बाधित के लिए ब्रेल पुस्तक, ध्वानियांकित पुस्तक, कैसेट भी सम्मिलित किया जा सकता है।

2.3 उपरोक्त सभी छात्रवृत्ति/भत्ता प्रत्येक शिक्षा सत्र में 10 माह के लिए दी जावेगी।

D:\New folder (2)\Desktop\Scholarship - revised _double.doc

Scanned by CamScanner

3. **आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :–**

3.1 आवेदन मंगवाने हेतु समाचार पत्रों तथा विभागीय वेबसाइट **www.sw.cg.gov.in** एवं केन्द्रीय योजनाओं के लिए भारत सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट **www.disabilityaffairs.gov.in** में विज्ञापन प्रकाशित की जावेगी।

3.2 छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ में आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा। केन्द्रीय छात्रवृत्ति हेतु आनलाइन आवेदन **नेशनल ई–स्कालरशिप पोर्टल** में तथा राज्य छात्रवृत्ति हेतु आवेदन **www.sw.cg.gov.in** में उपलब्ध है। विद्यार्थी को एक आई डी प्राप्त होगी जो सम्पूर्ण शैक्षणिक अवधि के लिए मान्य होगी। प्रतिवर्ष आवेदन को नवीनीकरण किया जावेगा। नवीनीकरण हेतु आई डी से जानकारी को अपडेट करना होगा।

3.3 कक्षा 9 वीं तथा इससे ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों को राज्य की अतिरिक्त सहायता के लिए पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। केन्द्रीय छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र पर ही स्वतः आवेदित माना जावेगा तथा केन्द्रीय छात्रवृत्ति स्वीकृत होने के तत्काल पश्चात राज्य छात्रवृत्ति की राशि संबंधित के खाते में अंतरित की जावेगी।

3.4 ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात प्रिंट आऊट निकालकर आवश्यक दस्तावेज के साथ संबंधित संस्था/शाला/महाविद्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। संबंधित संस्था/शाला/महाविद्यालय आवेदन में उल्लेखित आयु, जन्मतिथि, दिव्यांगता प्रमाणपत्र, कोर्स की मान्यता प्राप्त शुल्क आदि का परीक्षण एवं प्रमाणित कर जिले के संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय, समाज कल्याण को अग्रेषित करेंगे।

3.5 आवेदन ऑनलाइन नहीं कर पाने की स्थिति में आवश्यक अभिलेख के साथ अध्ययनरत संस्था/शालाओं/महाविद्यालयों में ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। संस्था प्रमुख/प्रधानपाठक/प्राचार्य का दायित्व होगा कि वे ऑनलाइन प्रविष्ट करें।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानपाठक/प्राचार्य ऑफलाइन आवेदन प्राप्त कर अपने विकासखण्ड मुख्यालय से ऑनलाइन प्रविष्टि करें।

3.6 राज्य छात्रवृत्ति हेतु संस्थाएं/शालाओं/महाविद्यालयों को समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट में पंजीयन कराना होगा तथा विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों को अनुशंसा के साथ जिले के संयुक्त/उप संचालक समाज कल्याण को ऑनलाइन अग्रेषित करना होगा।

Scanned by CamScanner

3.7 दिव्यांगजनों को गत परीक्षा में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3.8 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु संस्था प्रमुख/प्रधान पाठक/प्राचार्य द्वारा नियमित छात्र होने का प्रमाण पत्र जारी करना होगा।

4. छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रक्रिया :–

4.1 संस्था प्रमुख/प्रधानपाठक/प्राचार्य विद्यार्थियों से प्राप्त आवेदनों को अनुशंसा के साथ जिले के संयुक्त/उप संचालक समाज कल्याण को अग्रेषित करना होगा तथा राज्य छात्रवृत्ति के लिए आनलाइन अनुशंसा भी करना होगा।

4.2 प्राप्त आवेदनों पर संयुक्त/उप संचालक जिला कार्यालय, समाज कल्याण द्वारा ऑनलाइन परीक्षण कर पात्रता अनुसार स्वीकृति दी जावेगी। केन्द्रीय योजनाओं के लिए संयुक्त/उप संचालक जिला कार्यालय, समाज कल्याण अनुशंसा के साथ सूची राज्य नोडल अधिकारी समाज कल्याण संचालनालय को प्रारूप–पांच में उपलब्ध कराएगी। जिला कार्यालय समाज कल्याण का दायित्व होगा कि निर्धारित समय–सीमा में आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लिया जावे।

4.3 केन्द्रीय छात्रवृत्ति के लिए जिले से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर राज्य नोडल अधिकारी केन्द्र को स्वीकृति हेतु आनलाइन अग्रेषित करेंगे।

4.4 आवेदनों के अपूर्ण होने की स्थिति में संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण शीघ्र पूर्ण कराएगें।

4.5 राज्य छात्रवृत्ति के लिए संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण को प्राप्त आवेदन पत्रों पर स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार होगा, किन्तु संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण जिला कार्यालय के लिए आवश्यक होगा कि कोई आवेदन अस्वीकृत करने की दशा में उसके कारणों का भी उल्लेख करें।

4.6 स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को पंजीकृत आवेदन–पत्र पर आवेदन कार्यालय में प्राप्ति के अधिकतम 60 दिन के भीतर निर्णय लेकर आवेदक को सूचित करना आवश्यक होगा। स्वीकृत या अस्वीकृत करने संबंधी निर्णय की सूचना आवेदक को दी जावेगी।

4.7 छात्रवृत्ति की पात्रता होने की स्थिति में राशि शाला/महाविद्यालय की कक्षा में प्रवेश माह से स्वीकृत की जावेगी।

4.8 दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के धारा 26 एवं 27 में समुचित सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों को निम्न प्रावधान निर्धारित है :– "प्रत्येक दिव्यांग बालक को

Scanned by CamScanner

अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके" एवं "प्रत्येक दिव्यांग बालकों के लिए उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक विशेष पुस्तकों और उपस्करों की निःशुल्क व्यवस्था करना"। अधिनियम की धारा 30 में " दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना" तथा धारा 31 में " सभी शिक्षा संस्थाएं, नेत्रहीन विद्यार्थियों या कम दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए लेखकों की व्यवस्था करेगी या करवाएंगी"।

अतएव दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति एवं वाचक भत्ता का लाभ सुनिश्चित करने के लिए संबंधित संस्था प्रमुख/प्रधानपाठक/प्राचार्य की भूमिका होगी।

5. आबंटन प्रक्रिया :–

5.1 राज्य द्वारा संयुक्त/उप–संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण को आबंटन जारी किया जायेगा।

5.2 संयुक्त/उप–संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण द्वारा आबंटन प्राप्त होते ही स्वीकृत छात्रवृत्ति की राशि संबंधित दिव्यांग विद्यार्थियों के व्यक्तिगत खाते में अंतरित की जावेगी एवं इसकी जानकारी एस. एम. एस. के माध्यम से प्रेषित की जावेगी।

5.3 आनलाइन मॉनिटरिंग साफ्टवेयर में आबंटन की जानकारी ऑनलाईन अपडेट किया जावेगा।

5.4 केन्द्रीय छात्रवृत्ति के लिए आबंटन जारी नहीं किया जाएगा। अपितु केन्द्र से सीधे विद्यार्थियों के खाते में राशि अंतरित की जाएगी।

6. भुगतान प्रक्रिया :–

6.1 आवेदक को आवेदन के समय ही अपने बैंक/पोस्ट आफिस खाता क्रमांक की जानकारी आई.एफ.एस. सी कोड सहित उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

6.2 छात्रवृत्ति खाते के माध्यम से राशि सीधे उनके खाते में जमा करायी जाएगी। यथासंभव सीधे लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से भुगतान किया जावे।

6.3 छात्रवृत्ति का भुगतान उसी तरह से नियमित रूप से होता रहे, जिस तरह सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित पेंशन योजनाओं की पेंशन राशि का भुगतान होता है।

6.4 प्रत्येक संयुक्त/उप संचालक जिला कार्यालय समाज कल्याण संलग्न प्रारूप–दो के अनुसार छात्रवृत्ति की राशि वितरण का विवरण रजिस्टर में

Scanned by CamScanner

संधारित करेंगे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जिनको छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है, का पूर्ण ब्यौरा होगा और ऐसे विद्यार्थियों को कितना व किस माध्यम से भुगतान किया जा रहा है, उसका उल्लेख भी होगा।

6.5 यदि कोई विद्यार्थी शाला/महाविद्यालय का त्याग कर दिया है या लगातार तीन माह या इससे अधिक अवधि तक शाला/महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे विद्यार्थियों का भुगतान रोक दिया जावेगा तथा छात्र/छात्रा का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर एवं समुचित कारण होने पर संस्था प्रमुख/प्रधान पाठक/प्राचार्य के लिखित अनुमोदन प्राप्त करके ही छात्रवृत्ति का भुगतान पुनः जारी किया जा सकेगा।

6.6 संस्था प्रमुख/प्रधान पाठक/प्राचार्य की यह जिम्मेदारी होगी कि दिव्यांग विद्यार्थी के शाला त्याग करने अथवा लगातार तीन माह या इससे अधिक अवधि तक शाला/महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होने पर संयुक्त/उप संचालक जिला कार्यालय, समाज कल्याण को सूचित करें।

6.7 ऑनलाइन मॉनिटरिंग साफ्टवेयर पर भुगतान की जानकारी प्रत्येक माह अपडेट की जाएगी।

7. अभिलेखों का संधारण :–

7.1 संस्था/शाला/महाविद्यालय एवं संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय, समाज कल्याण छात्रों से प्राप्त आवेदन पत्रों का पंजीयन तथा स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में विवरण का पृथक रजिस्टर में प्रारूप–तीन अनुसार संधारित करेंगे।

7.2 संयुक्त/उप–संचालक, समाज कल्याण प्रतिमाह मासिक प्रतिवेदन संचालक, समाज कल्याण, छत्तीसगढ़ को माह की 10 तारीख तक प्रारूप–चार में उपलब्ध कराएंगे।

8. अभिलेखों का निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण :–

8.1 प्रत्येक जनपद पंचायत में पदस्थ समाज शिक्षा संगठक अपनी जनपद पंचायत स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के शालाओं में रैंडम आधार पर निरीक्षण कर दिव्यांग व्यक्तियों को छात्रवृत्ति/वाचक भत्ता का भुगतान सुनिश्चित करेंगें एवं प्रतिमाह निरीक्षण प्रतिवेदन जिले के संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण को प्रस्तुत करेंगे।

8.2 महालेखाकार, छत्तीसगढ़ के अधिकारियों द्वारा भी अभिलेखों का निरीक्षण/परीक्षण किया जा सकेगा।

Scanned by CamScanner

8.3 भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के निरीक्षण दल द्वारा भी अभिलेखों का निरीक्षण/परीक्षण किया जा सकेगा।

8.4 आवश्यकता होने पर विशेष आडिट दल भेजकर भी आडिट कराया जा सकेगा।

9. **विविध :–**

9.1 वह व्यक्ति जिसे सहायता राशि स्वीकृत की गई हो उस रकम को अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा।

9.2 शासन द्वारा पूर्व में जारी किया गया निर्देश क्र/स.क./2006–07/एफ–113/ 826, दिनांक 20.04.2006 को विलोपित किया जाता है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक एफ –2017–26–00204/ब–1/वि/चार, दिनांक 24.03.2017 द्वारा दी गई है।

यह निर्देश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

(सोनमणि बोरा)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

पृ. कमांक एफ 7–19/2016/सक/26 नया रायपुर, दिनांक 19 /06/2017

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय नया रायपुर,
2. विशेष सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय नया रायपुर,
3. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर,
4. प्र. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
5. महालेखाकार, रायपुर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
6. संभागायुक्त, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, दुर्ग,
7. संचालक, समाज कल्याण, संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

D:\New folder (2)\Desktop\Scholarship - revised _double doc

Scanned by CamScanner

प्रारूप–1

दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का फोटो

आवेदन पत्र क्रमांक

आवेदन दिनांक

*1. योजना का नाम (चिन्ह ✓ लगायें) : छात्रवृत्ति

*2. आवेदन का प्रकार नवीन नवीनीकरण

*3. कक्षा

संस्था / शाला / महाविद्यालय का नाम

***4. आवेदक का नाम**

*प्रथम नाम :

मध्य नाम :

उपजाति / सरनेम :

*5. पिता / अभिभावक का नाम :

***6. आवेदक / अभिभावक का पता**

मकान नं. / ग्राम :

गली / पोस्ट आफिस :

तहसील

जिला :

पिन कोड :

मोबाइल नम्बर +9 1

*7. लिंग : पुरूष महिला तृतीय लिंग के व्यक्ति

*8. जन्मतिथि :

*9. उम्र : वर्ष / माह / दिन

Scanned by CamScanner

*10. वर्ग : अजा ☐ अजजा ☐ अपिव ☐ सामान्य ☐

*11. अल्पसंख्यक : हां ☐ नहीं ☐

*12. दिव्यांगता का प्रकार :

*13. दिव्यांगता का प्रतिशत :

*14. आधार कार्ड नम्बर :

*15. भुगतान का तरीका : बैंक ☐ पो.आ. ☐

बैंक/पोस्ट आफिस का नाम :

शाखा का नाम :

खाता कमांक :

आई.एफ.एस.सी. (IFSC) कोड :

16. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण

क.	प्रपत्र	जारी दिनांक	जारीकर्ता
1.			
2.			
3.			
4.			

—:घोषणा पत्र :—

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति.. ....निवासी ....सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि ऊपर बताई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही है। यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जावे तो शासन नियमानुसार कार्यवाही कर सकेगा।

(आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी)

Scanned by CamScanner

कारण टीप के साथ :

अनुमोदनकर्ता का टीप :

(अनुमोदनकर्ता का हस्ताक्षर व पदमुद्रा)

नाम : ....

पदनाम : संस्था प्रमुख

प्राप्त आवेदन – पत्र की अभिस्वीकृति

श्री/कुमारी ....पता...

.... का आवेदन पत्र आज दिनांक ....को ....कार्यालय में . ... छात्रवृतित्त के लिए में प्राप्त हुआ।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
एवं नाम व पद मुद्रा

Scanned by CamScanner

प्रारूप–दो

दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना हेतु छात्रवृत्ति राशि का वितरण रजिस्टर

केन्द्रीय / राज्य छात्रवृत्ति

क्र.	संस्था / शाला / महाविद्यालय का नाम	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	पता	वर्ग (अ.जा. / अ.ज. जा. / पिछड़ा वर्ग / सामान्य	लिंग	उम्र
1	2	3	4	5	6	7	8

छात्रवृत्ति केन्द्रीय / राज्य	स्वीकृति का विवरण स्वीकृति की तिथि
9	10

छात्रवृत्ति भुगतान का विवरण			रिमार्क
बैक / पोस्ट आफिस का नाम व स्थान	खाता क्रमांक	भुगतान की गई राशि	
11	12	13	14

D:\New folder (2)\Desktop\Scholarship - revised _double.doc

Scanned by CamScanner

प्रारूप–तीन

दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना हेतु आवेदन–पत्रों का पंजीयन रजिस्टर

क्र.	आवेदन पत्र प्राप्ति का दिनांक	आवेदक का पूरा नाम व पता	वर्ग अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ा वर्ग/सामान्य	लिंग
1	2	3	4	5

उम्र	छात्रवृत्ति	संस्था/शाला/महाविद्यालय द्वारा संयुक्त/उप संचालक को प्रेषण करने का दिनांक	स्वीकृत/ अस्वीकृत	आदेश क्र. व दिनांक
6	7	8	9	10

स्वीकृति की स्थिति का विवरण			अस्वीकृति का कारण	प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर व सील
तिथि/माह जब से स्वीकृत की गई	छात्रवृत्ति राशि	वाचक भत्ता राशि		
11	12	13	14	15

नोट– उपरोक्त प्रारूप में संबंधित संस्था/शाला/महाविद्यालय भी पंजीयन रजिस्टर संधारित करेंगे।

Scanned by CamScanner

प्रारूप – चार (अ)

राज्य दिव्यांगजन छात्रवृत्ति का मासिक प्रतिवेदन

माह ....

(आंकड़े राशि लाख में)

क्र.	मांग संख्या	छात्रवृत्ति				वाचक भत्ता				गत वर्ष का शेष राशि	वर्ष में प्राप्त आबंटन	कुल आबंटन	माह अंत तक व्यय	शेष राशि
		कक्षा प्राथमिक (कक्षा 1 से 5)	पूर्व माध्य. कक्षा 6 से 8)	उच्च. माध्य. (कक्षा 9 से 12)	योग	कक्षा 9 से 12 एवं आई. टी. आई.	स्नातक (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान) एवं पोलिटेक्निक	स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक स्नातक परीक्षाओं	योग					
1	2	3	4		5					6	7	8	9	10
1	–34–													
2	–41–													
3	–64–													
योग														

छात्रा					छात्र					कुल छात्र–छात्राएं					रिमार्क
अजा	अजजा	सामान्य	अपिव	योग	अजा	अजजा	सामान्य	अपिव	योग	अजा	अजजा	सामान्य	अपिव	योग	
11	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*

संयुक्त/उप संचालक
समाज कल्याण
जिला कार्यालय

Scanned by CamScanner

प्रारूप – चार (ब)

केन्द्रीय दिव्यांगजन छात्रवृत्ति का मासिक प्रतिवेदन

माह .... (आंकड़े लाख में)

क्र.	जिला का नाम	लाभान्वित विद्यार्थी						योग कुल हितग्राही (3+8)
		प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति					
			चिकित्सा / तकनीकी शिक्षा में स्नातक	व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातक	स्नातक (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान)	सभी पोस्ट मैट्रिक स्तर के पाठ्यक्रम (जैसे– 11 वीं व 12 वीं) / आई. टी. आई. / पोलिटेक्निक)	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
योग								

छात्रा					छात्र					कुल छात्र–छात्राएं					रिमार्क
अजा	अजजा	सामान्य	अपिव	योग	अजा	अजजा	सामान्य	अपिव	योग	अजा	अजजा	सामान्य	अपिव	योग	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

संयुक्त / उप संचालक
समाज कल्याण
जिला कार्यालय

D:\New folder (2)\Desktop\Scholarship - revised _double.doc

Scanned by CamScanner

प्रारूप – पांच

केन्द्रीय दिव्यांगजन छात्रवृत्ति अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की अनुशंसित सूची

माह .... (आंकड़े लाख में)

क.	विद्यार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	कक्षा	संस्था/शाला/महाविद्यालय का नाम एवं पता	अनुशंसित छात्रवृत्ति (प्री/पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति)	अभिमत
1	2					
	योग					

संयुक्त/उप संचालक
समाज कल्याण
जिला कार्यालय

D:\New folder (2)\Desktop\Scholarship - revised _double.doc

Scanned by CamScanner